SEMESTER – 2

CC – 5

HISTORY OF IDEAS

(2019-2021)

E-CONTENT

UNIT – V : Liberals ✔ (i) M.K. Gandhi – State

(ii) B.R. Ambedkar – Social Justice

Vetted by :

प्रो० (डॉ०) सुरेन्द्र कुमार
विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग
पटना विश्वविद्यालय, पटना
संपर्क – 9835463960

डॉ० विद्यानन्द विधाता
अतिथि शिक्षक, इतिहास विभाग
पटना विश्वविद्यालय, पटना
संपर्क – 9472084115

(i) M.K. Gandhi – State (Volume – I)

उद्देश्य :

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप गाँधी जी के राज्य संबंधी विचारधाराओं को जान पाएंगे। इस इकाई में गाँधी के अराजकतावादी विचारों, पंचायती राज के महत्व, राजनीति का आध्यात्मिकरण स्वराज बहुमत का शासन संबंधी विचारों की चर्चा की गई है।

प्रस्तावना :

1915 ई० में गाँधी जी दक्षिण अफ्रिका से अश्वेत लोगों को उनका हक दिलाकर भारत वापस आए। भारत आने के पश्चात् इन्होनें अपने

राजनीतिक गुरू गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर भारत एवं भारतीयों को समझने के लिए भारत का भ्रमण किया। इसके पश्चात् इन्होनें भारतीय जनता विशेषकर किसान एवं मजदूरों की ताकत को समझते हुए न केवल स्वयं बल्कि इन वर्गों को भी राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और आंदोलन को जनांदोलन बना डाला। इस दौरान उन्होनें अपने विभिन्न विचारों को विभिन्न समाचार–पत्रों विशेषकर यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन इत्यादि के माध्यम से लोगों के सामने रखा। कालांतर के वर्षों में कई विद्वानों ने भी गाँधी जी के स्वराज्य, रामराज्य जैसे विचारों की विवेचना की है।

मोहनदास करमचंद गाँधी : राज्य

गाँधी जी के "राज्य" एवं राजनीतिक विचारों की निम्नलिखित रूप में रखा जा सकता है :

1. अराजकतावाद :

अराजकतावाद राज्य के खिलाफ प्रतिपादित एक विचार या दर्शन है। अराजकतावादियों का मानना है कि राज्य विकास में मार्ग में बाधक है। जब तक राज्य का अस्तित्व रहेगा तब तक आम जनता का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए अरातकतावादियों के नजर में राज्य जैसे अनैतिक, शोषणकारी, दमनकारी संगठन का अन्त होना चाहिए। कार्ल मार्क्स एवं बुकानिन जैसे विद्वानों की ही तरह गाँधी भी अरातकतावादी है,

जो राज्य की समाप्ति चाहते है। गाँधी जी का मानना है कि राज्य हिंसा और असत्य पर आधारित है तथा व्यक्तिगत अधिकारों का हनन करता है। इसलिए बेहतर समाज के लिए राज्य विहिनता आवश्यक है।

गाँधी जी के अरातकतावादी विचार आज अनुपयोगी तथा अप्रसांगिक साबित हो चुके हैं। आज के तारिख में राज्यविहीन समाज की कल्पना अनुचित है, क्योंकि आज तो राज्य की पहुँच व्यक्ति–व्यक्ति तक होती जा रही है। आज राज्य का स्वरूप शोषणकारी नहीं, बल्कि कल्याणकारी है, जिसके अंत की रात काल्पनिक, अवैज्ञानिक व अबौद्धिक लगता है। दूसरी बात यह भी कहा जा सकता है कि राज्य अगर हिंसा व अनैतिकता पर आधारित शोषणयंत्र है, तो भी गाँधी जैसे सहनशील व सुधारवादी व्यक्ति को राज्य में सुधार की बात करनी चाहिए थी, न कि समस्या से ऊबे हुए व्यक्तियों की तरह राज्य की अंत की बात करनी चाहिए। जो भी हो, गाँधी जी के राज्य से संबंधित अराजकतावादी विचार महत्वहीन है। खुद आगे चलकर गाँधी जी भी इस बात को मान लिए थे और कल्याणकारी राज्य के अस्तित्व को स्वीकार चुके थे।

2. स्वराज :

गाँधी जी कहा करते थे कि "स्वराज का अर्थ है अपने सर्वाधिक दीनहीन देशवासियों की स्वतंत्रता।" गाँधी जी ने जून, 1924 में प्रकाशित यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में लिखा है कि "मुझे भारत को केवल

अंग्रेजों की पराधीनता से ही मुक्ति कराने में ही दिलचस्पी नहीं है। मैं भारत को सभी प्रकार की पराधीनताओं से मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध हूँ। मुझे एक शासक के स्थान पर दूसरे शासक को लाने की जरा भी इच्छा नहीं है।"

स्वराज से मेरा तात्पर्य ऐसी भारत सरकार से है जो देश की व्यस्क जनसंख्या के बहुमत की राय से कायम की गई हो। व्यस्कों में स्त्री अथवा पुस्ष, यहाँ जन्मे तथा बाहर से आकर बसे वे सभी लोग सम्मिलित होंगे जिन्होनें राज्य की सेवा में किसी प्रकार का शारीरिक श्रमदान किया होगा तथा मतदाता के रूप में अपने नाम को पंजीकृत कराने का कष्ट उठाया होगा।

सच्चा स्वराज मुट्ठी भर लोगों द्वारा सत्ता प्राप्ति से नहीं आएगा, बल्कि सत्ता का दुरूपयोग किए जाने की सूरत में, उसका प्रतिरोध करने की जनता की सामर्थ्य विकसित होने सक आएगा। दूसरे शब्दों में, स्वराज जनता को सत्ता का नियमन तथा नियंत्रण करने की अपनी क्षमता का विकास करने की शिक्षा देने से आएगा। यंग इंडिया में गाँधी लिखते हैं कि "स्वराज का अर्थ है सरकार के नियंत्रण से मुक्त होने का सतत प्रयास, वह सरकार विदेशी हो अथवा राष्ट्रीय। स्वराज एक पवित्र शब्द है यह एक वैदिक शब्द है, जिसका अर्थ है स्वशासन तथा आत्मनिग्रह, इसका अर्थ

सब प्रकार के संयमों से मुक्ति नही है जैसा कि प्रायः 'सवाधीनता' का अर्थ लगाया जाता है।

3. पंचायती राज :

गाँधी जी पंचायती राज को सत्ता के विकेन्द्रीकरण और व्यापक राजनीतिक भागीदारी के लिए अत्यावश्यक मानते थे। पंचायती राज व्यवस्था को गाँधी जी द्वारा "धरातलीय प्रजातंत्र" कहा जाता था। गाँधी जी का मानना था कि पंचायती व्यवस्था से ग्रामीण स्तर का व्यापक विकास किया जा सकता है तथा गरीब–से–गरीब लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता का अहसास कराया जा सकता है। पंचायती व्यवस्था से सत्ता एवं शक्ति एक हाथ में केन्द्रित न होकर अनेक हाथों में विभाजित हो जाएगी। इससे निरंकुशता या तानाशाही का भय समाप्त हो जाएगा।

भारत जैसे "गाँवों के देश" में गाँधी के पंचायती राज सम्बन्धी विचार को बहुत हद तक अपनाया गया है, जो आवश्यक ही है। गाँधी जी के इस विचार की सराहना की जा सकती है, क्योंकि यह व्यापक राजनीतिक सहभागिता और व्यापक विकास के लिए आवश्यक है।

4. राजनीति का आध्यात्मिकरण :

सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, नैतिकता, सादगी, सदाचार इत्यादि मानवीय मूल्यों का राजनीति में समावेश कराना ही राजनीति का

आध्यात्मिकरण है। गाँधी जी सकारात्मक, राजनीतिक सक्रियता के लिए राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। गाँधी के राजनीतिक आध्यात्मिकरण में जातीय व संप्रदायिक सद्भावना भी देखने को मिलती है।

आज राजनीति में हिंसा, घोटाला, बेईमानी, अनैतिकता इत्यादि विषमताओं का बोल–बाला है। राजनीति में आज भाई–भतीजावाद, जातीयता, सम्प्रदायिकता क्षेत्रियता जैसे तत्व सिर चढ़ कर बोल रहे हैं। इन तत्वों का कुप्रभाव केवल भारत में ही नहीं, विश्व के लगभग तमाम देशों में देखने को मिल रहा है। ऐसी विषम एवं खरतनाक परिस्थिति में गाँधी जी के राजनीतिक आध्यात्मिकरण संबंधी विचार अनुसरणीय व सराहनीय है, जिसके प्रयोग से राजनीति में सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल सकता है।

5. बहुमत का शासन एवं प्रतिनिधित्व :

गाँधी जी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार करने के बाद बहुमत का शासन, मताधिकार एवं प्रतिनिधित्व जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों की भी चर्चा करते हैं। गाँधी जी का कहना है कि बहुमत का शासन उचित है, परन्तु उसका उद्देश्य सुशासन होना चाहिए, कुशासन नहीं। बहुमत के शासन में अल्पमत के हितों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। गाँधी जी ने प्रतिनिधित्व का उद्देश्य परोपरकार यानी जनता का ज्यादा से

ज्यादा कल्याण बताया है। गाँधी जी मताधिकार अर्थात् वोट देने का अधिकार उन्हें ही देना चाहा है, जिसके पास अवकाश रहे।

गाँधी जी द्वारा बहुमत का शासन एवं प्रतिनिधित्व पर दिया गया विचार उचित तो है ही, साथ हीं साथ वर्तमान प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है, लेकिन मताधिकार पर दिया गया गाँधी जी का विचार अरस्तूवादी और अप्रजातांत्रिक है। यह विडम्बना ही है कि एक तरफ गाँधी पंचायती राज यानि व्यापक राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं, तो दूसरी ओर मताधिकार संबंधी संकीर्ण अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं।

अभी तक हमने इस इकाई में गाँधी जी के राजनीतिक विचारों को अराजकतावाद, स्वराज, पंचायती राज, राजनीति का आध्यात्मिकरण तथा बहुमत का शासन एवं प्रतिनिधित्व शिर्षक के तहत चर्चा की है। शेष विचारों को अगले अध्याय में चर्चा करेंगे।

Suggested Reading :

1. डब्ल्यू.पी. कबाड़ी द्वारा संपादित–"इंडियाज केस फॉर स्वराज"
2. एम.के. गाँधी–एन ऑटोबायोग्राफी, ऑर द स्टोरी ऑफ माइ एक्सपेरीमेंट्स विद ट्रूथ"
3. बी. रामा अय्यर–"एथिकल रिलीजन : महात्मा गाँधी"
4. महादेव देसाई : एस गणेशन–"गाँधी जी इन इंडियन विलेजेज"
5. जी. ए. नटेसन–"स्पीचेज एवं साइटिंग्स ऑफ महात्मा गाँधी"